संशोधित

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग,बाराबंकी

पत्रांक 260 /14–4–4 दिनांक, बाराबंकी 15/07 / 2023

सेवा में,

प्रबन्धक,
टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 विभूति खण्ड
गोमतीनगर, लखनऊ।

विषयः– मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 लखनऊ द्वारा जनपद–बाराबंकी के अन्तर्गत सुल्तानपुर–लखनऊ मार्ग एन0 एच0–731 (पुराना एन0एच0–56) के किमी0 167–168 (चैनेज–167.216) के मध्य बायीं पटरी (लखनऊ–सुल्तानपुर दायीं पटरी) पर ग्राम–चौबीसी, तहसील–हैदरगढ़, बाराबंकी के खसरा गाटा संख्या–1888 व 1889 में प्रस्तावित सी0एन0जी0 स्टेशन के स्थल से मुख्य मार्ग आवागमन में प्रभावित 0.221392 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

Proposal No.-FP/UP/ Approach/151696/2022

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्र संख्या–8बी0/यू0पी0/06/196/2022/एफ0सी0/199 दिनॉक 23–06–2023 तथा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक–4068 /11–सी–FP/UP/Approach/ 151696/2022 दिनॉक 28–06–2023।

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जो इस कार्यालय के साथ आपको भी पृष्ठांकित है जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा अपने पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/196/2022/एफ0सी0/199 दिनॉक 23–06–2023 से विषयक प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–2, 3 व शर्त संख्या–4 एवं शर्त संख्या–6 के अनुपालन हेतु धनराशियों का आंकलन निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	शर्त संख्या	मद	धनराशि (रू0 में)	भुगतान किये जाने सम्बन्धी विवरण
1	2	3	4	5
1	2/3	443 पौधों के रोपण एवं 10 वर्ष अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि।	357265.00	प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से
2	4	0.221392 संरक्षित वन भूमि का भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2011 FC(Vol-I) दिनॉक 06–01–2022 तथा पत्रांक–संख्या–5–3/2011 FC(Vol-I) दिनॉक 22–03–2022 के अनुसार संशोधित (N.P.V.) शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि (रू0 9.57780 लाख प्रति हे0)।	212045.00	
3	6	भारत सरकार के पत्रांक–8बी0/यू0पी0/06/196/2022/एफ0सी0/199 दिनॉक 23–06–2023 में शर्त संख्या–6 के अनुपालन में दण्डात्मक धनराशि का आंकलन।	1187452.00	
		योग–	1756762.00	
			(रू0–सत्रह लाख छप्पन हजार सात सौ बासठ मात्र)	

(P.T.O.)

Scanned with CamScanner

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया आप सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–02,03 के अनुपालन में 443 पौधों के रोपण हेतु धनराशि–रू0–**357265.00 (रू0 तीन लाख सत्तावन हजार दो सौ पैंसठ मात्र)** एवं शर्त संख्या–04 के अनुपालन में 0.221392 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि रू0–**212045.00 (रू0 दो लाख बारह हजार पैंतालिस मात्र)** तथा शर्त संख्या–6 के अनुपालन में दण्डात्मक धनराशि–**रू0 1187452.00 (ग्यारह लाख सत्तासी हजार चार सौ बावन मात्र)** अर्थात कुल धनराशि रू0–**1756762.00 (रू0–सत्रह लाख छप्पन हजार सात सौ बासठ मात्र)** प्रयोक्ता एजेन्सी के ई–पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान से प्रतिपूर्ति पौधा रोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (कैम्पा फण्ड) में जमा करने का कष्ट करें तथा साथ ही भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) अलीगंज, लखनऊ द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक–23–06–2023 में उल्लिखित समस्त शर्त संख्या–1 से 21 तक की अनुपालन आख्या तथा आवश्यक प्रमाण पत्र, ई–चालान द्वारा जमा की गयी धनराशि की मूल प्रति तथा वन अधिकार अधिनियम–2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पॉच–पॉच प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे विषयक प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सकें।

<u>निर्धारित प्रपत्र</u>

Conditions No.	Conditions	Status of compliance

<u>संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।</u>

(रूस्तम परवेज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

संख्या– / 14–4–4 , दिनांकित।

1– प्रतिलिपि–मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रतिलिपिः–वन संरक्षक सरयू वृत्त उ0प्र0 अयोध्या को सूचनार्थ प्रेषित।

(रूस्तम परवेज)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

Scanned with CamScanner

मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 लखनऊ द्वारा जनपद–बाराबंकी के अन्तर्गत सुल्तानपुर–लखनऊ मार्ग एन0 एच0–731 (पुराना एन0एच0–56) के किमी0 167–168 (चैनेज–167.216) के मध्य बायीं पटरी (लखनऊ–सुल्तानपुर दायीं पटरी) पर ग्राम–चौबीसी, तहसील–हैदरगढ़, बाराबंकी के खसरा गाटा संख्या–1888 व 1889 में प्रस्तावित सी0एन0जी0 स्टेशन के स्थल से मुख्य मार्ग आवागमन में प्रभावित 0.221392 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

Proposal No.-FP/UP/ Approach/151696/2022

जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत मेसर्स टोरेन्ट गैस प्रा0 लि0 लखनऊ द्वारा जनपद–बाराबंकी के अन्तर्गत सुल्तानपुर–लखनऊ मार्ग एन0 एच0– 731 (पुराना एन0एच0–56) के किमी0 167–168 (चैनेज–167.216) के मध्य बायीं पटरी (लखनऊ–सुल्तानपुर दायीं पटरी) पर ग्राम–चौबीसी, तहसील–हैदरगढ़, बाराबंकी के खसरा गाटा संख्या–1888 व 1889 में प्रस्तावित सी0एन0जी0 स्टेशन के स्थल से मुख्य मार्ग आवागमन में प्रभावित 0.221392 हे0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक–8बी0 / यू0पी0 / 06 / 196 / 2022 / एफ0सी0 / 199 दिनॉक 23–06–2023 से सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत कर दी गयी है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में शर्त संख्या–6 के अनुपालन में दण्डात्मक धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है:–

उल्लंघन का वर्ष	2022
उल्लंघन करने का क्षेत्रफल	0.221392 ha.
एन0पी0वी0	0.221392x957780 =212044.83
अथवा:–	212045
भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में बिन्दु संख्या–6 के कम अनुसार Five Times NPV	212045x5 =1060225
वन संरक्षण अधिनियम–1980 की धारा–2 के उल्लंघन किये जाने हेतु शासनादेश संख्या के पैरा B-(I) के अनुसार 12 प्रतिशत सरल इन्ट्रेस्ट की धनराशि	1060225x12/100 =127227
कुल दाण्डात्मक एन0पी0वी0 धनराशि	1187452.00

क्षेत्रीय वन अधिकारी, हैदरगढ़ रेंज	(डा0 एन0के0 सिंह) उप प्रभागीय वनाधिकारी रामसनेहीघाट	(रूस्तम परवेज) प्रभागीय वनाधिकारी वन एवं वन्य जीव वन प्रभाग, बाराबंकी।

दिनेश कुमार/–

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Integrated Regional Office, Lucknow

केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roez.lko-mef@nic.in, goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 : 8बी/यू0पी0/06/196/2022/एफ.सी./199 दिनांक: 23.06.2023

सेवा में,

अति0 मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Approach/151696/2022

विषयः **मेसर्स टोरन्ट गैस प्राईवेट लि0 लखनऊ द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत सुल्तानपुर–लखनऊ मार्ग एन0एच0–731 (पुराना एन0एच0–56) के किमी0 167–168 (चैनेज 167.216) के मध्य बांयी पटरी (लखनऊ–सुल्तानपुर मार्ग के दांयी पटरी) पर ग्राम चौबीसी तहसील हैदरगढ जनपद बाराबंकी खसरा गाटा सं0–1888 एवं 1889 में प्रस्तावित सी0एन0जी0 स्टेशन के स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.221392 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भः मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश का पत्रांक 2968/11–सी–FP/UP/Approach/151696/2022 दिनांक 17.03.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी–208/81–2–2022–800(231)/2022, दिनांक 15.07.2022 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण में विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार मेसर्स टोरन्ट गैस प्राईवेट लि0 लखनऊ द्वारा जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत सुल्तानपुर–लखनऊ मार्ग एन0एच0–731 (पुराना एन0एच0–56) के किमी0 167–168 (चैनेज 167.216) के मध्य बांयी पटरी (लखनऊ–सुल्तानपुर मार्ग के दांयी पटरी) पर ग्राम चौबीसी तहसील हैदरगढ जनपद बाराबंकी खसरा गाटा सं0–1888 एवं 1889 में प्रस्तावित सी0एन0जी0 स्टेशन के स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.221392 हे0 संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 443 trees on area of 0.442784 ha in Shivnam Forest Block, Haidargarh Range, District Barabanki at the cost of the User Agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.
3. The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.
4. The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.221392 ha forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009.

   Revised amount of NPV as applicable as per orders dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.

२३/६/

Scanned with CamScanner

Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect.

6. **The Penalty for violation shall be equal to five times NPV of forest land per hectare plus 12 percent simple interest till the deposit is made.**
7. **Penal NPV to be imposed & collected as per the FCA guidelines dated 29-01-2018 and deposited to CAMPA fund.**
8. **Disciplinary action against the staff/officials for failing in getting violation of FCA, 1980 needs to be taken and a report should be submitted to this office.**
9. **DFO needs to certify that the area proposed is minimum required area for approach access to Retail Outlet.**
10. The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.
11. No violation of FCA certificate from concerned DFO shall be provided.
12. Greenery will be maintained by user agency around Periphery of CNG filling Station.
13. User agency shall use the land between entry and exit for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall.
14. Plantation shall also be done along the inside boundary of CNG filling Station.
15. Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24-07-2013 has to be provided.
16. The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.
17. The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.
18. The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.
19. Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.
20. All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through *e-portal (https://parivesh.nic.in/)*.
21. The compliance report shall be uploaded on ***e-portal (https://parivesh.nic.in/)***.

After receipt of compliance report on **fulfillment of all of the above conditions** from the State Government, proposal will be considered for **final approval** under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, by this office.

The order for transfer of forest land to **user agency** shall not be issued by the State Government till final approval order for diversion of forest land is issued by Government of India.

भवदीया,

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सरयू वृत्त, अयोध्या।
4. प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, बाराबंकी।
5. प्रबन्धक, टोरेन्ट गैस प्राइवेट लि0, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

23.06.201

(डॉ0 प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

Scanned with CamScanner